



भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.



संयोजक - बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर, रत्नागिरी,

छमाही बैठक दि.26.10.2016 समय- दोपहर 2.30 बजे
स्थान- संमेलन कक्ष, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि,

कार्यवृत्त

प्रथम न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि के श्री पी मोहन ने अध्यक्ष श्री प्रदीप कांबले, उप निदेशिका डॉ सुनीता यादव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग श्री शैलेश कुमार मालवीय, सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया तथा सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया.

बैठक को प्रारंभ करने से पहले समिति के परंपरा के अनुसार दीप प्रज्ज्वलन किया गया साथ ही प्रार्थना संपन्न हो गई और समिति की छमाही पत्रिका राजभाषा रत्नसिंधु का विमोचन श्री डॉ सुनीता यादव, श्री प्रदीप कांबले तथा श्री शैलेश कुमार मालवीय के करकमलों से किया गया. सदस्य सचिव ने पत्रिका के अंतरंग को प्रस्तुत किया.

इसके बाद समिति द्वारा बनाई गई वेबसाइट <http://narakasratnagiri.co.in> का शुभारंभ मंचासीन मान्यवरों ने कम्प्यूटर पर क्लीक करके किया गया.

पुरस्कार वितरण समारोह में प्रथम समिति द्वारा मनाएं गये 14 सितंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 तक के हिंदी पखवाडे के दौरान आयोजित प्रतियोगिता का पुरस्कार तथा 2015-16 के नराकास शील्ड वितरण समारोह संपन्न हुआ. (अनुलग्नक - आ देखे)

सदस्य सचिव ने अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति से बैठक को प्रारंभ किया गया.

विषय - 1 - प्रथम सदस्य सचिव ने अपनी प्रस्तावना के बाद पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की और सदस्यों ने कार्यवृत्त की पुष्टि की.

कृत कार्रवाई-

1. संपादन मंडल का गठन - सदस्य कार्यालय के प्रतिनिधि पत्रिका के संपादन में सहयोग करेंगे
1.न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन 2. एलआईसी 3. स्टेट बैंक 4. आकाशवाणी
इन सभी सदस्य कार्यालयों के साथ- साथ कोंकण रेलवे का बहुत अच्छा सहयोग रहा, इन सभी के योगदान से आज आपके लिए रत्नसिंधु का आठवां अंक प्रस्तुत है.



2. कोर कमेटी का पुनर्गठन - कोर कमेटी के 1 सदस्य ने इस्तीफा दिया है तथा 1 सदस्य अगस्त में सेवा निवृत्त हो रहे हैं इसी वजह से 1. बैंक ऑफ बड़ोदा के श्री नितिराज सिंह 2. युनियन बैंक के श्री आलेख सिन्हा इनको नामित किया गया

3. प्रतियोगिताओं को आयोजन - हिंदी दिवस के सुअवसर पर हिंदी सप्ताह मनाया. इस वर्ष समिति ने हिंदी पखवाडा 14 सितंबर 2016 से 30 सितंबर 2016 तक मनाया और हिंदी दिवस पर अध्यक्ष का संदेश भेजा गया तथा समिति द्वारा एकसूत्रता के लिए हिंदी पखवाडे के बैनर भेजे थे.

4. वेबसाइट बनाना - समिति की वेबसाइट बनाएं ताकि समिति के सदस्य कार्यालयों को अपडेट जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएं. आज हम अपने समिति की वेबसाइट का शुभारंभ किया गया. यह सफलता केवल समिति के सदस्य कार्यालयों तथा अध्यक्ष महोदय जी के दृढ़ संकल्प के कारण मिली है.

5. कार्यालयीन प्रमुखों की उपस्थिति - बैठकों की सूचना समय पर पाकर भी बहुत से कार्यालय प्रमुख इस बैठक में उपस्थित नहीं थे, इन कार्यालय प्रमुखों को अर्धशासकिय पत्र भेजे और उसकी प्रति उनके शीर्ष कार्यालय तथा उपनिदेशक कार्यालय को भेजने के निर्देश उप निदेशक डॉ सुनीता यादव ने दिये. उसी के अनुसार समितिने अर्धशासकिय पत्र भेजे थे.

इसके बाद सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड ने उपनिदेशक महोदया डॉ सुनीता यादव को सदस्य कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्टों की समीक्षा तथा संबोधन के लिए अनुरोध किया.

विषय-2 तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा तथा उपनिदेशक महोदया का संबोधन

उपनिदेशक महोदया ने प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार समीक्षा के लिए प्रारंभ करने से पहले रत्नागिरी नराकास के संदर्भ में कहा कि, समिति का कार्य बहुत ही सही तरीके से चल रहा है, समिति हर समय नयापन लाने का प्रयास कर रही है. समिति द्वारा बैठकों का समय पर आयोजन किया जा रहा है, समिति की छमाही पत्रिका निरंतर प्रकाशित हो रही है, इतना ही नहीं आज समिति ने वेब साइट का शुभारंभ किया है यह साराहनीय बात है और समिति के और बेहत्तर कार्य के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं.

सदस्य कार्यालयों ने जो आंकडे भेजे हैं, उसमें प्रस्तुतिकरण में सुधार की आवश्यकता है. 37 कार्यालयों में से 35 कार्यालयों ने छमाही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की हैं वे छमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजे, जिससे समेकन का कार्य आसानी से हो सकता है. रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकडों को देखकर उन्होंने कहा कि, आंकडे प्रस्तुति में सुधार आवश्यक है. धारा 3/3 में अंतर्गत आनेवाले सभी 14 कागजात द्विभाषा (इसकी सूची अलग से परिशिष्ट-2 में दी है) में जारी होने आवश्यक है. हिंदी में प्राप्त पत्रों का जवाब हिंदी में ही देना है. वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार कार्यान्वयन होना आवश्यक है. बेहत्तर कार्यान्वयन के लिए यूनिकोड के प्रयोग से हिंदी में ईमेल भेजे, मूल रूप से हिंदी में छोटे-छोटे पत्र बनाकर नेमी कार्य में प्रयोग करें जिससे हम अपने लक्ष्य को पार कर सकें. हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है. तकनीकी शब्दों का लिप्यांतरण करके सहज व सरल भाषा को कठीण न बनाएं. साथ में यह सूचित किया कि, सभी सदस्य कार्यालयों के लिये एक कार्यशाला का आयोजन करें ताकि आंकडे प्रस्तुतिकरण सही रहे. जिन कार्यालयों में तिमाही राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठके आयोजित नहीं की जा रही हैं वे समय पर आयोजित करें. प्रवीणता प्राप्त स्टाफ को शत - प्रतिशत कार्य हिंदी में करने के लिए आदेश जारी करें.

उपनिदेशक महोदया ने यह भी कहा कि, आज इस बैठक में कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही है, अध्यक्ष महोदय को अनुरोध है कि अनुपस्थित कार्यालयों को अर्धशासकिय पत्र भेजे तथा उसकी प्रति उनके नियंत्राधीन कार्यालय को प्रेषित करें.



संगोष्ठी का आयोजन करना - समिति ने आज " कारोबार विकास में राजभाषा हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का योगदान" इस विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, इस में विविध सदस्य कार्यालय के प्रमुख सहभागिता की.

- सहभागिता - 1. सुहास विद्वांस - आकाशवाणी
2. सतीश रानडे - न्यू इंडिया एश्योरेन्स कं.
3. श्री ज्ञान सातपुते - सिंडिकेट बैंक
4. संतोष पाठक - इंडियन ओरसीज बैंक
5. विनय परांजपे - ओरिएंटल एश्योरेन्स कं
6. रविंद्र शेलार - एलआईसी

अन्य - श्री शैलेश कुमार मालवीय

- डॉ सुनिता यादव

समापन - श्री प्रदीप कांबले - अध्यक्ष, नराकास

विषय 3 - नराकास की गतिविधियों को तेजी लाने के लिये इस बैठक में रखें कुछ सुझाव / निर्णय

1. पत्रिका तथा वेबसाइट संपादन मंडल का गठन
2. कोर कमेटी का पुनर्गठन
3. कार्यशाला का आयोजन
4. सभी कार्यालयों की उपस्थिति
5. समय पर बैठकों का आयोजन
6. कोर कमेटी का सदस्य कार्यालयों का दौरा
7. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी सदस्य कार्यालयों में बैठकों का आयोजन
8. जानकारी तुरंत प्राप्त हो जाएं.
8. छमाही रिपोर्टों का प्रस्तुतिकरण समय पर और सही.

अध्यक्षीय संबोधन

अध्यक्ष महोदय श्री प्रदीप कांबले जी ने अपने संबोधन में कहा कि, प्रथम सदस्य सचिव द्वारा कुछ नये प्रस्ताव रखें हैं, उसे समिति की ओर से अनुमोदन प्रदान करते हैं, जो समिति को प्रगति के ओर लेकर जानेवाले हैं. मैं यह भी सूचित करना चाहता हूं कि, इस छमाही में एक कार्यशाला का भी आयोजन करें ताकि रिपोर्ट्स, आंतरिक कामकाज, हिंदी ईमेल भेजना, युनिकोड डाउनलोड/अपलोड करना आदि पर विशेष ध्यान दे. उपनिदेशक महोदय द्वारा पुरस्कार हेतु जो कुछ मापदंड दिये हैं, उसे नजरअंदाज न करें.

समिति का हर एक कार्य तभी सफल होगा जब सभी सदस्य कार्यालयों का पर्याप्त सहयोग प्राप्त होगा. हम सभी मिलकर अधिक से अधिक हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करेंगे. राजभाषा रत्नसिंधु पत्रिका के लिए अपने घरेलू आलेखकार, कवि तथा साहित्यकारों का सहभाग होना आवश्यक है. अपनी पत्रिका का विषय चयन - प्रस्तुति उत्तम है, इसमें और भी विविधता हमें लाना है, ताकि पाठकों में पढ़ने की रुचि निर्माण हो और पत्रिका संग्रहनीय बने. यदि हमारे समिति को अग्रसर रखना हो तो प्रथमतः सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों की बैठकों में उपस्थिति, इसके साथ रिपोर्टों का सही प्रस्तुतिकरण तथा प्रतियोगिताओं/समारोहों का सही आयोजन, आंतरिक कामकाजों में राजभाषा का प्रगामी प्रयोग, वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार दिये गये लक्ष्यों को पाना यह महत्वपूर्ण है.




सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में अपनी समिति की वेबसाईट होना आवश्यक था, जिससे हमारे समिति को तथा समिति के हर एक सदस्य कार्यालयों को एक अलग-सा मंच उपलब्ध हो. आप सभी सदस्य कार्यालयों से इस कार्य में बड़ा योगदान रहा इसी का फल है यह वेबसाईट, जो आप देख रहे हैं.

आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं, धन्यवाद।

कोर कमेटी सदस्य श्री सतीश रानडे ने उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और अन्य विषय न होने पर अध्यक्ष महोदय जी के अनुमति के साथ बैठक समाप्ती की घोषणा की गई.

दि.26/10/2016


(रमेश गायकवाड)
सदस्य सचिव


(प्रदीप कांबले)
अध्यक्ष

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी.



उपस्थित कार्यालय प्रतिनिधियों की सूची

सं.	नाम	संस्थान का नाम
1	श्री प्रदीप कांबले	अध्यक्ष, एवं उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया
2	डॉ सुनीता यादव	उप निदेशक, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
3	श्री वैलेश कुमार मालवीय	सहायक महाप्रबंधक(राजभाषा) बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय
4	श्री बी.बी. निकम	क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, कोंकण रेल्वे.
5	श्री धनंजय कदम	उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर,
6	श्री पी मोहन	मुख्याधिकारी, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
7	श्री रमेश खांडे	क्षेत्रीय प्रबंधक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक
8	श्री विनय पराजपे	शाखा प्रबंधक, ओरिएंटल इश्योरस कं. लि
9	श्री अे डी कोली	प्रबंधक, युनायटेड इंडिया एश्योरन्स कं.
10	श्री रविंद्र पांडुरंग देवधर	वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम
11	श्री श्रीनिवास जरंडीकर	केंद्राध्यक्ष, आकाशवाणी
12	श्री शिवचरण राजने	सहायक अभियंता, दूरदर्शन केंद्र, रत्नागिरी
13	सुश्री उषा हटवार	प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक
14	श्री बाळासाहेब जाधव	शाखा प्रबंधक, युको बैंक
15	श्रीमती अरुणा केलकर	प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक
16	श्री विवेक सावंत	शाखा प्रबंधक, कापरिशन बैंक
17	श्री अमोल गर्डे	वरिष्ठ प्रबंधक, सेंट्रल बैंक
18	श्री कृष्णा लंबानी	उप मुख्य राजभाषा अधिकारी कोंकण रेल्वे.
19	श्री सुधाकर पालदेवार	जिला समन्वयक, भास्टेट बैंक
20	श्री अनिल कोतवाल	प्रबंधक, विजया बैंक
21	उषा किरण बेसरा	सहायक प्रबंधक, स
22	श्री धनेश्वर पवार	प्रबंधक, आधा बैंक
23	उषा किरण बेसरा	सहा. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ हैद्राबाद
24	श्री सचिन नंदकर	उप प्रबंधक, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि
25	श्री सी.एस.मयेकर	वरिष्ठ सहायक, सेंट्रल एक्सचेंज
26	श्री सुहास विदवांस	कार्यक्रम समन्वयक, आकाशवाणी
27	श्री विनय गद्रे	प्रशासकीय अधिकारी, एलआईसी
28	श्री प्रशांत हजारे	प्रबंधक, इंडियन बैंक
29	प्रीता शाजी	प्रबंधक, केनरा बैंक
30	श्री अनिलकुमार शिंदे	आयकर अधिकारी
31	श्री ज्ञान सातपुते	सहायक प्रबंधक राजभाषा, सिंडिकेट बैंक क्षे. का. पणजी
32	श्री संतोष पाठक	राजभाषा अधिकारी, इंडियन ओवरसीज बैंक
33	श्री सतीश रानडे	शाखा प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्युरन्स कं.
34	श्री लक्ष्मीकांत भाटकर	निरीक्षक, सीमा शुल्क मंडल,
35	श्री विवेक सिंग	अधिकारी, बैंक महाराष्ट्र
36	श्री सौम्यदीप मोईशा	अधिकारी, इलाहाबाद बैंक
37	श्री गौरव श्रीवास्तव	अधिकारी, इलाहाबाद बैंक
38	श्री संतोष पाटोले	अधिकारी कोंकण रेलवे
39	श्री राजेंद्र गडवी	बैंक ऑफ महाराष्ट्र
40	श्री पी जी डोंगरे	लेखाकार, आकाशवाणी
41	अंजली राकेश पवार	वरिष्ठ टिकट परिक्षक, कोंकण रेलवे
42	निमिष म्हाडेश्वर	सहायक लिपिक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
43	श्री रमेश गायकवाड	सदस्य सचिव, नराकास
44	श्री सागर होनमुटे	अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय.
45	श्री सूरज माने	बैंक ऑफ इंडिया.



- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3/3 के अनुसार निम्नलिखित 14 दस्तावेज अनिवार्यतः द्विभाषा में ही जारी करना है.

संकल्प	नियम	करार
साधारण आदेश	अधिसूचना	अनुज्ञति
परिपत्र	प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट	अनुज्ञापत्र
परिपत्रक	प्रेस विज्ञप्ति	सूचना और निविदा प्रारूप
कार्यालय आदेश	संविदा	

निम्नलिखित पुरस्कारों के मापदंडों पर गौर करें

1. छमाही पत्रिका का प्रकाशन निरंतर तथा जिसमें आलेखों का स्तर उच्च और अधिक से अधिक तकनीकी स्वरूप के हो.
2. 100% सदस्य कार्यालय प्रमुखों की उपस्थिति.
3. 100% सदस्य कार्यालयों के छमाही रिपोर्टों की प्रस्तुति.
4. बैठकों का कैलेंडर के अनुसार आयोजन
5. 7 दिन के अंदर कार्यवृत्त नराकास के वेब पर अपलोड होना.
6. कितने समारोहों का आयोजन किया गया है. (किस तरह के इसमें स्थानीय या राष्ट्रीय)
7. सेमिनार का आयोजन आदि.
8. हिंदी दिवस/ हिंदी पखवाडा मनाना

